

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 927/2021

1. Smt. Sajna Devi W/o Late Shri Sadhu Ram, Aged 47 Years,
2. Pooja Barala D/o Late Shri Sadhu Ram, Aged 21 Years,
3. Rahul Barala S/o Late Shri Sadhu Ram, Aged 18 Years,
4. Abhishek Barala S/o Late Shri Sadhu Ram, Aged 16 Years,
5. Mohini Devi W/o Late Shri Omkar Mal, Aged 78 Years,
Claimant No.4 is minor through its natural guardian/mother Smt. Sajna Devi W/o Late Shri Sadhu Ram, R/o Dhani Dhugaliyawali, Tan Tejpura, Tehsil Shahpura, Distt. Jaipur. (Raj.)

----Appellants/Claimants

Versus

1. Mahendra Banjara S/o Shri Jagram, R/o - Takla Banjara, Jhopda, Tehsil Nainwa, Distt. Bundi, Rajasthan.
(Driver Trailar No. RJ-32-GB-8283)
2. Anil Yadav S/o Shri Ramniwas, R/o Badh Dhundhala, Tehsil Bansur, Distt. Alwar, Raj. (Regd. Owner Trailar No. RJ-32-GB-8283)
3. United India Insurance Company Ltd. through Regional Manager, O/o Sahara Chambers Tonk Road Jaipur, Raj. (Ins. Co. Trailar No. RJ-32-GB-8283) Validity Date 26.08.2017 To 25.08.2018.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

04/05/2026

1. अपीलार्थीगण सजना देवी व अन्य द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण,

शाहपुरा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-150/2018, श्रीमती सजना देवी व अन्य बनाम महेन्द्र बंजारा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण सजना देवी व अन्य द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, साधुराम की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 84,35,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण को कुल 10,62,410/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 9 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की मासिक आय 6,058/- रुपये (26 दिनों के आधार पर) निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि मृतक वक्त घटना ट्रेलर चालक का कार्य कर तथा ट्रेलर का स्वामी होकर 20,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण के लिए गुणक भी गलत प्रयोग किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये:-

01. Civil Appeal Nos. 6981-82/2022 (SC), Gurpreet Kaur & Ors.
Vs. United India Insurance Company Ltd. & Ors.

02. Special Leave Petition (Civil) Diary No. 8684/2025 (SC),
Sundari Devi & Ors. Vs. Ram Singh & Ors.

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए भविष्य वृद्धि बाबत तर्क लिया है कि वक्त घटना मृतक की आयु 45 वर्ष थी, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर 25 प्रतिशत के स्थान 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की गई है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय को संशोधित किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.04.2018 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को ट्रेलर स्वामी होना व ट्रेलर चालक का कार्य कर 20,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना कुशल श्रेणी का श्रमिक मानते हुए उसकी आय 26 दिनों के आधार पर 6,058/- रुपये मासिक निर्धारित की गई है।

8. मृतक ट्रेलर नंबर आर.जे.-14-जीई-7257 का मालिक है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ट्रेलर स्वामी होने के नाते वह अतिरिक्त आय भी अर्जित करता होगा। इस संबंध में **सुन्दरी देवी (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को, जो कि ट्रक का स्वामी था व ट्रक चलाकर आय अर्जित करता था कि मासिक आय 15,000/- रुपये निर्धारित करते हुए क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन किया है। इसी प्रकार **गुरप्रीत कौर (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रक स्वामी व ट्रक चालक का कार्य करने वाले व्यक्ति की आय 25,000/- रुपये मानी जाकर क्षतिपूर्ति निर्धारित की है। हस्तगत मामले में भी याचीगण की ओर से मृतक को ट्रेलर का स्वामी होने के नाते आय अर्जित करना व ट्रेलर को चलाकर भी

आय अर्जित करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सुन्दरी देवी (उपरोक्त) व गुरप्रीत कौर (उपरोक्त)** का अवलंब लेते हुए, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मृतक का ट्रेलर चलाकर व ट्रेलर मालिक होने के नाते हम, उसकी सकल आय 12,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 40 प्रतिशत की गई है, जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 46 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 12,000/— रुपये का 25 प्रतिशत 3,000/— रुपये होता है। उक्त 25 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित वार्षिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 15,000/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

10. वक्त घटना मृतक पर कुल पांच आश्रित होना बताये गये हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती की गई है, जो उचित है। 15,000/— रुपये का $1/4$ भाग 3,750/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 11,250/— रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 46 वर्ष निर्धारित की गई है, किन्तु मृतक के आधार कार्ड की प्रति में उसकी जन्मतिथि 01.05.1972 अंकित है तथा दुर्घटना दिनांक 04.04.2018 की होना जाहिर है, जिसके आधार पर वक्त घटना मृतक की आयु 45 वर्ष 11 माह होती है। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना मृतक की आयु 45 वर्ष से तो अधिक थी, किन्तु मृतक पूर्ण रूप से 46 वर्ष आयु का नहीं हुआ था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत

M.H. Uma Maheshwari & Ors. Vs. United India Insurance Co. Ltd. & Anr. reported in **2020 (2) R.A.R. 185 (SC)** में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"9. The Tribunal, by recording a finding that the deceased was in the age group of 40 to 50 years, applied the multiplier of 13 while calculating the compensation. The High Court, curiously while maintaining the multiplier of 13 as per the judgment of this Court in compensation only on the ground that the deceased was aged 50 years 3 months on the date of the accident, as such the compensation is to be calculated on account of loss of dependency by granting future prospects at 15% but not 30%. So far as the application of multiplier of 13 by the Tribunal is concerned, the High Court has not interfered with the same. When the age of the deceased was considered in the group of 40 to 50 years, we are of the view that the High Court has committed error in granting only 15% towards future prospects instead of 30%. As per the judgments of this Court, primarily the age group is to be considered. Considering the age group as 40 to 50 years, when the multiplier of 13 is maintained by the High Court, there is no reason or justification for reducing the compensation by granting 15% towards future prospects. Though the learned counsel appearing for Respondent 1 Insurance Company has submitted that the compensation towards future prospects was awarded as per the Constitution Bench judgment of this Court in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi³ but at the same time it is to be noticed that in the very same judgment in para 59.3, while considering the grant of future prospects, this Court has specifically said that the addition should be 30% if the age of the deceased was in the age group of 40 to 50 years. For application of multiplier, the High Court has also accepted the age group of the deceased between 40 and 50 years. In that view of the matter, there is no reason

for reducing the compensation by granting
future prospects at 15% only."

11. इस प्रकार **एम.एच. उमा महेश्वरी (उपरोक्त)** के मामले में पारित मतानुसार यह न्यायालय मृतक को वक्त घटना 41 से 45 वर्ष के मध्य की आयु वर्ग में मानते **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य: (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 14 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में 13 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 11,250/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $11,250 \times 12 \times 14 = 18,90,000/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को कंसोर्टियम की मद में कुल 40,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

13. ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को "स्पाउस कंसोर्टियम" की मद में 40,000/- रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 4 को "पैरेंटल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 40,000/- रुपये तथा मृतक की माता अपीलार्थी संख्या-5 को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में 40,000/-

रुपये (कुल 2,00,000 /— रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझती है।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000 /— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है तथा जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

15. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	18,90,000 /— रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	2,00,000 /— रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 /— रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 /— रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	21,20,000 /— रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	10,62,410 /— रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	10,57,590 /— रुपये

16. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 10,62,410 /— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 21,20,000 /— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज याचिका दायर करने की तिथि से 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिलवाया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

18. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

19. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /21